

Order Sheet [Contd]

CaseNo.....78.....of 20 22

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रकरण आज दिनांक-09.03.2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ क0 21 के समक्ष प्रस्तुत संजीव वि. भारत एस.सी.एन.आई.ए.78/22 परिवादी सहित अधिवक्ता श्री सतीष श्रीवास्तव उप0। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री आर.एस. ठाकुर उप0। प्रकरण नेशनल लोक अदालत में राजीनामा आवेदन पत्र पर विचार हेतु नियत है। इसी स्तर पर परिवादी एवं अभियुक्त द्वारा राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा 147 परकाम्य लिखत अधिनियम प्रस्तुत किया गया। परिवादी अधिवक्ता द्वारा राजीनामा पर विचार किये जाने तथा न्यायशुल्क वापस लौटाये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष को सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा हस्तगत परिवाद अंतर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया हैं। अभियुक्त पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति का है। उभयपक्ष से पूछे जाने पर उनके द्वारा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी भय व दबाव के राजीनामा किया जाना बताते हुए, मधुर संबंध स्थापित हो जाना भी बताया है, नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मामले का निराकरण चाहा है। न्यायालय द्वारा उभयपक्षों से पूछताछ की गयी। परिवादी द्वारा स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा करना एवं अभियुक्त द्वारा परिवादी की पूर्ण संतुष्टि करना व्यक्त किया है। परिवादी की पहचान अधिवक्ता द्वारा की गयी। इसी स्तर पर अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा न्यूनतम शमन शुल्क अधिरोपित किये जाने का निवेदन किया गया। <u>माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत दामोदर एस प्रभु बनाम सययद बाबालाल (2010) 5 एस0सी0सी0 663 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि,</u> आरोपी के उपस्थिति के पश्चात नियत दो तिथियों पर राजीनामा न होने पर आरोपी पर चेक राशि की दस प्रतिशत तक की परिव्यय राशि न्यायालय के विवेक अनुसार अधिरोपित की जा सकती है।	<i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i>

Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Sw
Par
Pleader
neces

आरोपी ने अपनी आर्थिक असमर्थता के कारण ही परिवादी को राशि का भुगतान करने में विलंब कारित होना व्यक्त किया है, उक्त तथ्य की पुष्टि स्वयं परिवादी द्वारा भी की गई है। आरोपी द्वारा नेशनल लोक अदालत के उद्देश्यों के अनुपालन में राशि जमा कर प्रकरण का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जाना व्यक्त किया। ऐसी दशा में आरोपी को अधिकतम शमन शुल्क से मुक्ति प्रदान कर केवल 100/-रुपये शमन शुल्क अधिरोपित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः आरोपी पर 100/- रुपये शमन शुल्क अधिरोपित की जाती है।

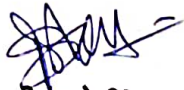
उभयपक्ष ने नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मामले का अंतिम निराकरण चाहा है, नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत मामले में उभयपक्ष के मध्य आपसी वैमनस्यता विद्देश के भावना समाप्त होने और उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित हो जाने की संकारात्मक सोच की पहल है।

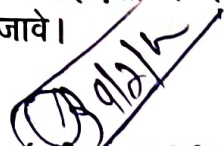
फलतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है, स्वीकार कर अंतर्गत धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अपराध का शमन कर आरोपी **भारत सिंह पिता त्रिलोक सिंह** को धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

आरोपी द्वारा निष्पादित नियमित प्रतिभूति बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का निराकरण लोक अदालत में होने से परिवादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क विधि अनुसार वापस की जाने हेतु पृथक से प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी/सी.आई.एस. में दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।


(एस.पी. सोनी)
खण्डपीठ कमांक 21
पीठासीन सदस्य
गैरतगंज, रायसेन म0प्र0


(मनीष रघुवंशी)
खण्डपीठ कमांक 21
जे0एम0एफ0सी0
गैरतगंज, रायसेन म0प्र0